अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान

रघुनाथ प्रसाद बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा: प्रा0पत्र 136 दुरूस्ती इन्द्राज — प्र0 सं0:–51 / 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.03.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी पेरोकार सरकार अनुपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि व अन्य खाते की नकलों से साबित है कि प्रार्थी का नाम रघुनाथ प्रसाद पुत्र रामपाल, सबलराम पुत्र रामपाल का सही नाम है तथा विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम रतना पुत्र रामपाल, सांवता पुत्र रामपाल, सांवल राम पुत्र रामपाल दर्ज हो गया। जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का नाम रतना पुत्र रामपाल, सांवता पुत्र रामपाल, सांवल राम पुत्र रामपाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज के स्थान पर रघुनाथ प्रसाद पुत्र रामपाल, सबलराम पुत्र रामपाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि खसरा नम्बर 504, 505, 506, 510, 511, 568, 559, 570, 571, 572, 573, 577, 578, 579, 591, 593, 594, 595, 598 कुल किता 19 कुल रकबा 1.88 है0 वाके ग्राम बागपुरा एवं आराजी खसरा नंबर 4161 रकबा 1.65 है0 वाकेरामा छारेडा एवं खसरा नंबर 1670 रकबा 0.23 है0 वाकेराम लाहडी का बास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा के राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान जमाबन्दीयों में दर्ज प्रार्थी रतना पुत्र रामपाल, सांवता पुत्र रामपाल, सांवल राम पुत्र रामपाल के स्थान पर दुरूस्ती की जाकर रघुनाथ प्रसाद पुत्र रामपाल, सबलराम पुत्र रामपाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार नांगल राजावतान को दिये जाते है। इसी कदर उक्त भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावें। निर्णय की प्रति पालना हेतु पृथक से तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (बृजेन्द्र मीना आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान	

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट नांगल राजावतान (दौसा)